

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई, 2021

सा.का.नि. .... (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.नि. 303(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, में, पृष्ठ 1 पर, सारणी में, क्रम संख्या 4 में, स्तंभ (2) में, "3822" के स्थान पर "3002, 3822" पढ़ा जाए ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/5/2021-टीओ(टीआरयू-1)-सीबीईसी]

(गौरव सिंह)  
उपसचिव, भारत सरकार